



# Meticulous Investigation & Prosecution



## BAGHPAT POLICE

गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी सावन को हुई 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा ।

अवगत कराना है कि वर्ष-2018 में अभियुक्त सावन पुत्र कृष्ण निवासी ग्राम शबगा थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध थाना बड़ौत पर मु0अ0सं0- 1005/2018 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम पंजीकृत हुआ था । इस अभियोग में मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 22.07.2024 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी 01 जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त सावन को दोषी पाते हुए 02 वर्ष के कारावास व 5,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है ।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है । बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा ।



Baghpat Police



baghpatpolice



@baghpatpolice





प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना बालैनी

दिनांक 22.07.2024

ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस ने पुरामहादेव मन्दिर से गुमशुदा 04 वर्ष के नाबालिग बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को किया सुपुर्द ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा पुरामहादेव मन्दिर से गुमशुदा 04 वर्ष के नाबालिग बच्चे को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया गया ।



परिजनों द्वारा बालैनी पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

### बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री शैलेन्द्र मुरारी दीक्षित थाना बालैनी ।
- 2- म0उ0नि0 कल्पना थाना बालैनी ।



प्रेस नोट  
थाना बडौत

दिनांक 22.07.2024

थाना बडौत पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

इरफान पुत्र इकबाल निवासी मौ0 शोरगिरान कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजय सिंह पूनिया थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 542 अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 621 प्रदीप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना छपरौली

दिनांक 22.07.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 115(2)/126(2)/140(1)/191(1)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.07.2024 को वादी रोहित पुत्र राधेश्याम निवासी पट्टी मेहर कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्त 1-सलमान पुत्र इस्लाम, 2- ताहिर पुत्र महबूब, 3-शहजाद पुत्र शहीदू व 4- नसीम पुत्र महबूब निवासीगण ग्राम ओढ़ापुर थाना छपरौली द्वारा उसका रास्ता रोककर गाली-गलौच करते हुए मारपीट की गयी व जान से मारने की धमकी दी तथा उसको गाड़ी में डालकर ले गये। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0



163/24 धारा 115(2)/126(2)/140(1)/191(1)/351(2)/ 351(3)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 163/24 धारा 115(2)/126(2)/140(1)/191(1)/351(2)/351(3)/352 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

## गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सलमान पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

## गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री नन्हे सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 3-का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत ।
- 4-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना छपरौली

दिनांक 22.07.2024

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 132/24 धारा 147/148/323/307/504  
भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

## संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 05.06.2024 को वादी श्री रविन्द्र पुत्र रामनिवास (ग्राम चौकीदार) निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत ने सूचना दी कि ग्राम औढापुर में प्रथम पक्ष के 1-ताहिर, 2-जाहिद, 3-तोहिद, 4-वहीद पुत्रगण अली मोहम्मद, 5-मुशीर, 6-तारीफ पुत्रगण ताहिर, 7-शाकिब पुत्र बुल्ला, 8-ताजमीर पुत्र शहीदू तथा द्वितीय पक्ष के 1-काला पुत्र इकबाल, 2-शौकीन पुत्र रहमू, 3-कादर, 4-अली पुत्रगण शौकीन, 5-बाबर पुत्र आस मौहम्मद व 6-रहीम पुत्र आसमौहम्मद आपस में गाडी खडी करने को लेकर गाली-



गलौच करते हुए लाठी-डंडो से लैस होकर एक दूसरे पर जान से मारने की नीयत से हमला कर रहे हैं, जिससे ग्राम की शांति व्यवस्था भंग हो रही है। इस सम्बन्ध प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 132/24 धारा 147/148/323/307/504 भादवि पंजीकृत किया गया था।

### कार्यवाही-


बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 132/24 धारा 147/148/323/307/504 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

ताहिर पुत्र अली मोहम्मद निवासी ग्राम औढापुर थाना छपरौली जनपद बागपत।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री रामअवतार सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 2-उ0नि0 श्री नन्हे सिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 3-का0 953 अंकुल थाना छपरौली जनपद बागपत।
- 4-का0 1006 नरसिंह थाना छपरौली जनपद बागपत।





प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना खेकड़ा

दिनांक 22.07.2024

थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 202/24 धारा 379 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से चोरी का सामान बेचकर प्राप्त 300 रुपये नगद व 33 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 09.07.2024 को वादी श्री सुनील कुमार पुत्र बाल किशन निवासी कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत ने सूचना दी कि अभियुक्तों 1-गौतम पुत्र सोहनपाल, 2-विशाल पुत्र वीरसैन निवासी गण कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत द्वारा उसकी दीवार पर लगे लोहे के पाईप को चोरी कर लिया गया । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकड़ा पर मु0अ0सं0 202/24 धारा 379 भादवि पंजीकृत किया गया ।



### कार्यवाही--

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकड़ा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 202/24 धारा 379 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया

है, जिसके कब्जे से चोरी का सामान बेचकर प्राप्त 300 रुपये नगद व 33 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकड़ा पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-


विशाल पुत्र वीरसैन निवासी करुबा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी के पाइप को बेच कर प्राप्त 300 रुपये नगद।
- 33 पच्चे अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।

### गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1-उ0नि0 विकास कुमार थाना खेकड़ा।
- 2-उ0नि0 श्रीपाल थाना खेकड़ा।
- 3-का0 1075 मनीष थाना खेकड़ा।
- 4-का0 24 तरुण कुमार थाना खेकड़ा।







प्रेस नोट जनपद बागपत  
थाना खेकडा

दिनांक 22.07.2024

थाना खेकडा पुलिस ने चैकिंग के दौरान 02 तस्करों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से तस्करी किए जा रहे 04 कछुए बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से तस्करी किए जा रहे 04 कछुए बरामद हुए हैं ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 217/24 धारा 39/48/51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

- 1-राजीव पुत्र शेर सिंह निवासी ग्राम कैराना थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2-मोहित पुत्र अनिल निवासी ग्राम बिडौली थाना राई जनपद सोनीपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 4 कछुए ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 नरेश पाल सिंह थाना खेकडा ।
- 2-उ0नि0 युटी धर्मेन्द्र कुमार थाना खेकडा ।
- 3-का0 1022 अजय प्रताप थाना खेकडा ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

महिला थाना

दिनांक 22.07.2024

महिला थाना पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 25/24 धारा 376/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत महिला थाना पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 25/24



धारा 376/506 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

### गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अजय पुत्र नरेन्द्र निवासी कुराड इब्राहिमपुर थाना व जनपद सोनीपत हरियाणा ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्रीमती बबीता चौधरी महिला थाना बागपत ।
- 2-उ0नि0 श्री ब्रेशपाल सिंह महिला थाना बागपत ।
- 3-है0का0 375 अशोक कुमार महिला थाना बागपत ।
- 4-है0का0 631 रोहित कुमार महिला थाना बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 22.07.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 198/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही, जिसके कब्जे से चोरी की गई 01 मो०सा० हीरो स्प्लैण्डर नं० UP-17R-4576 बरामद ।

### संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.07.2024 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी शाह फैशल पुत्र मौहब्बत निवासी ग्राम लुहारा थाना सिंघावली अहीर ने सूचना दी कि अज्ञात चोर द्वारा उसकी मोटर साईकिल नं० UP-17R-4576 को चोरी कर लिया गया है । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु०अ०सं० 198/24 धारा 303(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 198/24 धारा 303(2) बीएनएस से सम्बन्धित 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गयी है, जिसके कब्जे से चोरी की गई 01 मो०सा० हीरो स्प्लैण्डर नं० UP-17R-4576 बरामद हुई है ।

### बरामदगी का विवरण-

- चोरी की गई 01 मो०सा० हीरो स्प्लैण्डर नं० UP-17R-4576

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थानाध्यक्ष श्री शिवदत्त थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।
- 2-उ०नि० श्री कपिल चौहान थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

3-है0का0 546 विपिन सिरोही थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

4-का0 711 विपिन भाटी थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

5-का0 1068 प्रवीण कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक-22.07.2024

थाना सिंघावली अहीर पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

### कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



### गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

जयकरण पुत्र किशनलाल निवासी ग्राम बरसिया थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 अश्वनी कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।

2-का0 711 विपिन कुमार थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत ।